भीम

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान–302005

क्रमांकः एफ 25(74)/पार्ट–II/परि/कम्प्यू/2016/16208 जयपुर,दिनांकः 9/9/21

कार्यालय आदेश संख्या 16..../2021

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिसूचना संख्या S.O. 1026 (E) दिनांक 03.03.2021 के द्वारा चालक लाईसेंस से संबंधित चयनित सेवाओं को आवेदक के आधार प्रमाणीकरण की स्थिति में परिवहन कार्यालय में भौतिक रुप से उपस्थित हुए बिना संपर्क रहित (Contactless) ऑनलाईन माध्यम से प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में विभाग द्वारा आधार प्रमाणीकरण किये जाने की स्थिति में लर्निंग लाईसेंस जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाईन (Contactless) किया गया है।

प्रक्रिया के चरण निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं :–

1. आवेदक द्वारा https://parivahan.gov.in पोर्टल पर निम्नानुसार चरणों में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऑनलाईन सर्विसेज → ड्राईविंग लाईसेंस रिलेटेड सर्विसेंज → अप्लाई फॉर लर्निंग लाईसेंस → कंटिन्यू → एप्लिकेंट इज नॉट होल्डिंग ड्राईविंग/लर्नर लाईसेंस के विकल्प के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
2. उक्त चरण के उपरांत "सबमिट वाया आधार (ई–केवाईसी)" और "सबमिट विदआउट आधार (नॉन ई–केवाईसी)" में से "सबमिट वाया आधार (ई–केवाईसी)" विकल्प का चयन करना होगा।
3. "सबमिट वाया आधार (ई–केवाईसी)" विकल्प उन आवेदकों के लिए है जो आधार कार्ड में दर्ज नाम, जन्मतिथी, निवास का पता आदि सूचनाओं के आधार पर लर्निंग लाईसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तथा आधार नंबर के साथ लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त वन टाईम पासवर्ड (OTP) से आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं। यदि आवेदक के आधार कार्ड में उपरोक्त सूचनाऐं अपडेट नहीं हैं तो आवदेक को उक्त विकल्प का उपयोग करना अनुमत नहीं होगा एवं सिस्टम द्वारा आवेदक को "सबमिट विदआउट आधार (नॉन ई–केवाईसी)" विकल्प का उपयोग करने के लिए सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850611, Fax 0141-2740177,website : www.transport.rajasthan.gov.in, e-mail- transport@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

4. "सबमिट वाया आधार (ई–केवाईसी)" विकल्प का चयन करने पर आवेदक द्वारा आधार नंबर दर्ज किया जाएगा एवं आधार के साथ लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त वन टाईम पासवार्ड (OTP) से सत्यापन करने पर आधार कार्ड में अंकित सूचनाओं के अनुसार स्वतः आवेदन पत्र की पूर्ती हो जाएगी। इस प्रक्रिया में आवेदक को किसी भी प्रकार के दस्तावेज अपलोड करने अथवा स्लॉट बुक करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. ऐसे आवेदकों को अपना नवीनतम फोटो एवं स्वयं के हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड किये जाने आवश्यक होंगे तथापि जारी होने वाले लर्निंग लाईसेंस पर आवेदक के आधार का फोटो प्रिंट होगा।

6. बिंदु संख्या 4 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल निम्नांकित स्थितियों में आवेदन को दस्तावेज अपलोड किये जाने की आवश्यकता होगी:–

   A. आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होने अथवा परिवहन श्रेणी/Adopted Vehicle श्रेणी के लिए आवेदन करने की स्थिति में फॉर्म 1A।

   B. आधार में अंकित पते से पत्राचार हेतु भिन्न पता अंकित करने की स्थिति में पते का निर्धारित साक्ष्य दस्तावेज।

   इस स्थिति में संबंधित परिवहन कार्यालय के स्तर से अपलोड किये गये साक्ष्य दस्तावेजों की स्क्रूटनी किये जाने के उपरांत ही प्रक्रिया के आगामी चरण संपादित किया जाना संभव हो सकेगा। इस प्रक्रिया में भी स्लॉट बुक करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7. केन्द्रीय मोटरयान (यथा संशोधित) नियम2021 के नियम 13(2) एवं नियम 172(1) की पालना में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रारुप और दस्तावेज ई–हस्ताक्षर से प्रमाणित किये जा सकेंगे।

8. इस प्रकार के आवेदनों के साक्ष्य दस्तावेजों की जांच संबंधित कार्यालय के अधिकृत कार्मिक द्वारा नियमित रुप से की जाऐगी। इस कार्य के लिए आवेदक को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। अतः संबंधित कार्मिक उनके लॉगिन में प्रदर्शित होने वाले समस्त आवेदनों की जांच स्वतः नियमित रुप से करेंगे। संबंधित कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे की संबंधित कार्मिक द्वारा यथा संभव उसी कार्यदिवस को स्क्रूटनी की कार्यवाही पूर्ण की जावे तथा किसी भी स्थिति में यह कार्यवाही 2 कार्यदिवस से अधिक लंबित नहीं रहे।

9. कार्यालयों द्वारा साक्ष्य दस्तावेजों की स्क्रूटनी कर उन्हे मान्य किये जाने अथवा अपलोड किये गये दस्तावेजों पर आक्षेप अंकित करने की स्थिति में आवेदक को SMS के द्वारा स्वतः सूचना प्राप्त हो जाएगी।

Scanned with CamScanner

10. आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत यातायात नियमों से संबंधित एक वीडियो देखना अनिवार्य होगा। यह वीडियो देखने का विकल्प आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व ही उपलब्ध हो जाता है।

11. यदि आवेदक द्वारा आवेदन के समय निरंतरता में वीडियो नहीं देखा जाता है अथवा किसी तकनीकी खराबी अथवा अन्य किसी बाधा के कारण आवेदक वीडियो नहीं देख पाता है तो आवेदक "एप्लीकेशन स्टेटस" विकल्प के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन नंबर एवं जन्मतिथी दर्ज कर वीडियो देखने के विकल्प पर पुनः पहुंच सकता है।

12. वीडियो देख लिये जाने के उपरांत आवेदक को सबमिट बटन प्रदर्शित होगा एवं यह बटन क्लिक किये जाने के उपरांत ही लर्निंग लाईसेंस टैस्ट दिया जाना संभव हो सकेगा। आवेदक को SMS के द्वारा एक यूआरएल, एप्लीकेशन नंबर एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनका उपयोग कर आवेदक लर्निंग लाईसेंस हेतु ऑनलाईन टैस्ट दे सकेगा।

13. आवेदक को आईडी पासवर्ड प्राप्त होने की तिथी से 7 दिवस के भीतर टैस्ट देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में आवेदक परीक्षण शुल्क पुनः जमा करवा कर लर्निंग लाईसेंस टैस्ट देने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेगा।

14. ऑनलाईन टैस्ट में सिस्टम द्वारा उपलब्ध प्रश्न बैंक में से रैण्डम आधार पर 20 प्रश्न प्रदर्शित होंगे जिनमें से न्यूनतम 12 प्रश्न का सही उत्तर देने पर आवेदक टैस्ट में उत्तीर्ण हो जाएगा। टैस्ट में उत्तीर्ण होने के उपरांत आवेदक को SMS द्वारा प्राप्त वन टाईम पासवर्ड (OTP) के द्वारा पोर्टल से लर्निंग लाईसेंस डाउनलोड कर सकेगा।

15. उक्त प्रक्रिया के द्वारा जारी लर्निंग लाईसेंस साधारण A4 कागज पर प्रिंट होंगे तथा उन पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षरों की प्रतिकृति अंकित नहीं होगी।

उक्तानुसार प्रक्रिया के सुचारु संचालन एवं आमजन को सुविधाजनक रुप से उक्त सेवाऐं प्रदान करने के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. सभी कार्यालयों द्वारा उक्त प्रक्रिया (Contactless) के प्रचार – प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं प्रक्रिया के संबंध जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालयों में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की पूर्ण सहायता की जाए। सभी प्रादेशिक/जिला/उप परिवहन कार्यालयों में आमजन की सहायता के लिए निर्देश एवं प्रक्रिया की फ्लैक्स शीट प्रदर्शित की जावे। इस कार्य हेतु कार्यालय व्यय/सडक सुरक्षा मद से राशि व्यय की जा सकती है।

2. राज्य के आवेदकों को उनके स्तर से परिवहन कार्यालय के चयन का विकल्प उपलब्ध होगा अर्थात राज्य के किसी भी जिले का निवासी किसी भी

Scanned with CamScanner

परिवहन कार्यालय से लर्निंग लाईसेंस प्राप्त कर सकेगा जोकि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 (यथा संशोधित) के सुसंगत हो।

3. "सबमिट विदआउट आधार (नॉन ई–केवाईसी)" के विकल्प का चयन करने अर्थात आधार प्रमाणीकरण नहीं होने की स्थिति में आवेदन एवं लर्निंग लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूर्वानुसार रहेगी। आवेदक को फॉर्म 2 में अंकित की जाने वाली समस्त सूचनाऐं दर्ज करनी होंगी, इनके साक्ष्य अपलोड करने होंगे एवं कार्यालय में उपस्थित होने के लिए स्लॉट भी बुक करना होगा।

4. इस प्रकार के आवेदकों को वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित तिथी एवं समय पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा। कार्यालय के संबंधित कार्मिक द्वारा अपलोड किये गये साक्ष्य दस्तावेजों की स्क्रूटनी एवं आवेदक का फोटो एवं अन्य अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरांत आवेदक द्वारा आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के समान वीडियो देखकर स्वयं के मोबाईल/कंप्यूटर से अथवा कार्यालय से लर्निंग लाईसेंस टैस्ट दिया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जाये।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः एफ 25(74)/पार्ट–II/परि/कम्प्यू/2016/16209-16 जयपुर,दिनांकः 9/9/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन, राजस्थान।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), परिवहन विभाग, राजस्थान।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. तकनीकी निदेशक, NIC एवं सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार व्यवस्थाऐं 'सारथी 4.0' में प्रभावी किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
7. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (IT)

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850611, Fax 0141-2740177,website : www.transport.rajasthan.gov.in, e-mail- transport@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner